

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग  
केंद्रीय जल आयोग  
स्थापना -एक अनुभाग

\*\*\*\*\*

तृतीय तल (द०), सेवा भवन  
रामकृष्णापूरम, नई दिल्ली -110066  
दिनांक: 21.05.2025

**कार्यालय आदेश**

अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के उपरांत Dr. Rabindranath Sankhua, सदस्य, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड, हैदराबाद सरकारी सेवा से दिनांक 31 मई, 2025(अपराह्न)को सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

On attaining the age of superannuation Dr. Rabindranath Sankhua, Member, Krishna River Management Board, Hyderabad will retire from Government Service with effect from the afternoon of 31-05-2025 (AN).

(नरिंदर कुमार)

अवर सचिव, स्थापना-एक  
दूरभाष : 29583344

प्रतिलिपि :

1. अध्यक्ष के प्रधान निजी सचिव, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
2. सदस्य (आर एम), (डी &आर), (डब्लू पी &पी) के वरिष्ठ निजी सचिव, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
3. श्री Dr. Rabindranath Sankhua, सदस्य, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड, हैदराबाद को इस अनुरोध के साथ की चार्ज त्याग रिपोर्ट एवं बेबाकी प्रमाण पत्र निर्धारित प्रोफोर्मे में जमा करें।
4. केन्द्रीय जल आयोग के सभी मुख्य अभियंता।
5. सचिव, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
6. निदेशक (प्रशा.)/वित्त/पी सी पी/टी डी/डी & आर (समं)/डब्लू पी &पी (समं)/आर एम (समं)/ आर डी निदे., केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
7. अवर सचिव (प्रशा.)/ स्था-एक) जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली।
8. वेतन एवं लेखाधिकारी/ लेखाधिकारी, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
9. उप निदेशक (डब्लू पी सी)/(पी सी पी)/(पी & एम), केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
10. अनुभाग अधिकारी लेख -I/III /स्था- IV/सी एम &वी/ए पी ए आर/स्था-XIV/बजट/आर & आई/ केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
11. संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत फाईल एवं सेवा पुस्तिका।
12. केन्द्रीय जल आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।